होंडा मोटरसाइकिल के हड़ताली मजदूरों के साथ खड़े हों और अपना समर्थन दें!
यूनियन बनाने के अधिकार के लिए आवाज उठाएँ!

- फरवरी 2016 से ही राजस्थान–हरियाणा बॉर्डर के पास टापूखेड़ा में होंडा कंपनी के 2500 ठेका मजदूरों और 200 स्थायी मजदूरों को प्रबंधन द्वारा काम से निकाल दिया गया है। **क्यों?**
  क्योंकि उन्होंने यूनियन बनाने और संगठित होने का प्रयास किया।
- अगस्त 2015 से टापूखेड़ा में होंडा प्रबंधन निलंबित मजदूरों के साथ मार–पीट और कई अन्य तरीकों से प्रताड़ित कर रही है। **क्यों?**
  क्योंकि उन्होंने संगठित होने की जुर्रत की।
- 73 मजदूरों के खिलाफ दंगा करने, हत्या का प्रयास करने, बिना अनुमति प्रवेश करने आदि से संबंधित केस दर्ज किए गए हैं। **क्यों?**
  क्योंकि एक बोमार मजदूर ने जब ओवरटाइम करने से मना किया तो प्रबंधन के लोगों ने उसकी पिटाई की। इसके विरोध में जब मजदूरों ने प्रदर्शन किया तो प्रबंधन ने पुलिस की मिलीभगत से उनकी पिटाई की और उनपर झूठे केस दर्ज करवाए।
- मजदूर तुरंत जमानत लेकर बाहर नहीं आ सके। **क्यों?**
  क्योंकि स्थानीय न्यायालय ने जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया।
  क्योंकि जयपुर उच्च न्यायालय में अपील करने पर न्यायालय ने 1 लाख रूपये के जमानत राशि के साथ 2 गारेंटर (प्रत्येक गिरफ्तार श्रमिक के लिए) की माँग की।
- 24 सितम्बर को एक स्थायी श्रमिक को निलंबित कर दिया गया। **क्यों?**
  क्योंकि उन्होंने यहाँ जारी भूख–हड़ताल से संबंधित एक फेसबुक पोस्ट को 'लाइक' (पसंद) किया।

ये घटनाएँ मई 2015 से ही चल रही हैं, जब से होंडा मोटर–साइकिल एवं स्कुटर इंडिया लि. के टापूखेड़ा प्लांट (2011 में स्थापित) में मजदूरों ने एक यूनियन बनाने का निर्णय किया। आखिर भारत की सबसे बड़ी दो–पहिया कंपनी अपने मजदूरों की इतनी विरोधी क्यों बन गयी है और इन्हें संगठित होने से रोकने के लिए इस सीमा तक क्यों जा रही है?

क्योंकि, जापान की होंडा मोटर कंपनी एचएमएसआई की 100 प्रतिशत सहायक ये कंपनी मजदूरी काटकर, जबरदस्ती ओवरटाइम करवाकर, उत्पादन–अवधि को घटाकर, ठेके पर मजदूरों को रखकर तथा छुट्टियों की मनाही करके अपने मुनाफे को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहती है। **क्योंकि,** धरना– प्रदर्शन के कारण फरवरी में इसका मुनाफा 20 फीसदी कम हो गया। **क्योंकि,** मजदूर एक बार यूनियन बना लेंगे तो उनको प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ लड़ने का मौका मिल जाएगा। इसी वजह से, इसने मजदूरों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)सी के अंतर्गत प्राप्त यूनियन बनाने के अधिकार से वंचित करने का हर संभव प्रयास किया है और कर रही है।

एचएमएसआई प्रबंधन ने निम्नलिखित हथकंडे अपनाए हैं:

- मजदूरों को निलंबित एवं बर्खास्त किया गया।
- अलवर के श्रम–विभाग के द्वारा तलब किए जाने के बावजूद कोई भी बातचीत या समझौता करने से इंकार किया गया।
- मजदूरों को फ़ैक्ट्री के अंदर प्रवेश करने से रोकने के लिए तालाबंदी घोषित कर दी गयी।
- गुंडों से मजदूरों को पिटवाया गया।
- पुलिस को बुलाकर मजदूरों पर लाठीचार्ज करवाया तथा उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए।
- आरएसएस समर्थित भारतीय मजदूर संघ के सहयोग से प्रबंधन–समर्थक एक कामचलाऊ तरह का यूनियन खड़ा कर दिया गया।
- मजदूरों के लिए एक स्वतंत्र यूनियन की स्थापना के लिए पंजीकरण के खिलाफ कोर्ट केस दर्ज कर दिए गए।
- निलंबित मजदूरों को हटाकर उसके जगह नए ठेका श्रमिकों को लगा दिया गया, ताकि उत्पादन निरंतर जारी रहे।
- राजस्थान और हरियाणा सरकार से मिलीभगत कर जयपुर, टापूखेड़ा, रेवाड़ी, गुड़गाँव, मानेसर, भीवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों को प्रदर्शन करने से रोका गया।

पिछले 10 महीनों से कोई नौकरी नहीं होने तथा प्रबंधन के द्वारा लगातार हो रहे हमलों और प्रशासन के साथ स्पष्ट मिलीभगत के बावजूद होंडा कंपनी के मजदूर संगठित होने की अपनी जायज माँग के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 19 सितम्बर से तकरीबन 300 होंडा श्रमिक एकजुट होकर जंतर–मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से पाँच अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं जिनमें से एक को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। 5 अक्टूबर को 13 शहरों में होंडा के शो–रूम के बाहर बाउन्सरों द्वारा मार–पीट किए जाने के बावजूद घेराबंदी करके होंडा के उत्पादों का सफलतापूर्वक बहिष्कार किया गया।

दोस्तो, आईए हम भी जंतर–मंतर पर इनके संघर्ष से जुड़ें। हम इस बात को सुनिश्चित करें कि जिन मजदूरों ने होंडा के 'सुपरस्टार' सपना 'नियो' बाइक– जिसे हम खरीदते और चलाते हैं– को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, उन्हें भी अपने सपने देखने का अधिकार है।

संगठित होने के अधिकार के लिए आवाज उठाएँ!

फर्जी केस को वापस लेने, सभी मजदूरों की पुनर्नियुक्ति एवं होंडा वर्कर्स यूनियन के पंजीकरण के श्रमिकों की माँग को समर्थन दें।

पीपॅल्स यूनियन फॉर डेमोक्रैटिक राइट्स (पीयूडीआर), दिल्ली